



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ. ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Tel: 07752-260000, 260003, Fax: 07752-260154

Website: www.ggu.ac.in Email:

क्रमांक 270 / परीक्षा / यू.टी.डी. / 2017

बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- 10वीं की अंकसूची के अनुसार ही प्रवेश पंजी में छात्र एवं उनके माता-पिता के नाम अंकित करने विषयक

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशाला में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के नाम उनके माता-पिता के नाम की प्रविष्टि 10वीं की अंकसूची के अनुसार ही प्रवेश पंजी में अंकित करना चाहें। परीक्षा आवेदन पत्र में 10वीं की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य है, जिससे छात्र/छात्राओं के अंकसूची में नाम संशोधन संबंधित त्रुटि न हो। ऐसे छात्र जिनके अंकसूची में नाम व माता-पिता के नाम में त्रुटि हो तो वे छः माह तक बिना शुल्क के नाम में संशोधन करा सकते हैं, इसके पश्चात अंकसूची में नाम संशोधन हेतु रु0100/- (एक सौ रूपये) प्रति अंकसूची संशोधन हेतु देय होगा।

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक(कार्यवाहक)

पृ0क्रमांक 271 / परीक्षा / यू.टी.डी. / 2017

बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक / शीघ्रलेखक की ओर मा.कुलपति / कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गु.घा.वि.वि.बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. विभागाध्यक्ष, सी.एस.आई.टी. विभाग को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

pm

I.T. cell